—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 150/2021

उनवान

गोपाल बनाम जगदीश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के समान तथ्यों को लेते हुये राजस्व वाद संख्या 26/2019 भी वादी द्वारा हाजा न्यायालय में पेश किया है। उक्त वाद में प्रतिवादी ने प्रतिदावा पेश करते हुये समसत तथ्यों को अंकित किया है। पूर्व वाद में भी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा उक्त वाद के अतिरिक्त श्रीमान सिविल न्यायालय में भी एक इन्ही तथ्यों के आधार पर वादी प्रस्तुत किया है। वाद में अंकित आराजी किसी भी रूप में कृषि आराजी नही रही है। वादी का वाद पोषणीय नही है। वाद मानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजमार्ग की अवापत भूमि पर अतिक्रमण कर तीन कैबिन प्रतिवादी द्वारा लगा दी है जिस कारण वादी का आवागमन बाधित हो गया है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अंकित चली आ रही है, जिसे आबादी भूमि में नही लिया है। वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद संख्या 150/21 दिनांक 7.12.21 को अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व 136 एल आर एक्ट का पेश कर आराजी मुतनाजा की नक्शा तरमीम व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। साथ ही समान तथ्यों, पक्षकार, आराजी मुतनाजा व अनुतोष का राजस्व वाद संख्या 16/2019 गोपाल बनाम जगदीश भी पृथक से हाजा न्यायालय में पेश किया है, जो विचाराधीन है। प्रश्नगत वाद पूर्व वाद के बाद में पेश किया है। समान तथ्यों के आधार पर दो वाद एक ही न्यायालय में पेश करना विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट नही किया है कि उसके द्वारा समान तथ्यों पर 2 वाद किस कारण प्रस्तुत किये है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधान के अनुसार वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रश्नगत वाद आगे चलने योग्य नही है।

ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण का वाद संख्या 150 /2021 खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)